फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

श्योकरण व अन्य बनाम मीरा व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–177/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बार संघ ने कार्य बन्द रखा। बहस वकील उभय पक्ष दिनांक 18.02.2020 को सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 की माता व 3/1 की सास व 3/2 ता 3/4 की दादी स्व0 शेरादेवी पुत्री दानाराम पत्नी भोमाराम के नाम से अप्रार्थी संख्या 1 ता 10, 11, 12 के साथ संयुक्त खाता में भूमि वाके रोही कुम्भगढ़ के खाता संख्या 71/71 जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खसरा संख्या 18/1/3.542 हैक्टर, खसरा संख्या 116/33 में 9.108 है0 बारानी कुल 12.650 है0 बारानी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण की माता/सास/दादी स्व0शेरादेवी का 1/6 हिस्सा यानि 2.108 है0 खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 12 दानाराम के ही वंशज है व जैरवाद भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 10 को विरास्तन प्राप्त है। जैरवाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार शेरादेवी का स्वर्गवास हो चुका है, प्रार्थीगण स्व0शेरादेवी के प्रथम श्रेणी वारिस है तथा जैरवाद भूमि में स्व0शेरादेवी के नाम की भूमि के विरास्तन उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण भागाराम को शेरादेवी से प्राप्त विरास्तन भूमि में विरास्तन हक रखते है। जैरवाद भूमि शेरादेवी को अपने पिता दानाराम से विरास्तन प्राप्त हुई थी तथा शेरादेवी के स्वर्गवास के बाद उसके नाम की भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 का विरास्तन हिस्सा 2/3 है तथा प्रार्थीगण संख्या 3/1 ता 3/4 का 1/3 में ब0हि0ब0 हक है। खाता संयुक्त होने से प्रार्थीगण को भारी परेशासनियों का सामना करना पड़ रहा है। रकम, बिजली का कनेक्शन आदि लेने में भारी परेशानी आती है। संयुक्त खाता में होने के कारण अप्रार्थीगण भी प्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार काश्त नही करने देते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की सुधारी हुई भूमि को देखकर प्रार्थीगण को वह रकबा छोड़ने की धमकी देते है तथा कब्जा करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे मूल वाद पत्र के निर्णय तक जैरप्रकरण भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ की रोही कुम्भगढ़ के खात संख्या 71/71 जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 2072 के खसरा संख्या 18/1 में 3.542 है0, खसरा संख्या 116/33/9.108 है0 बारानी कुल 12.650 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण के हिस्सा तक के कब्जा काश्त में बेजा दखलदांजी नही करे तथा भूमि रहन बैय आदि द्वारा हस्तातंरण नही करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की ओर NO INSTRUCTION प्लीड किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी अनुसार रोही कुम्भगढ़ के खाता संख्या 71/71 जमाबंदी सम्वत् 2069 ता 72 के खसरा संख्या 18/1/3.542 हैक्टर, खसरा संख्या 116/33 में 9.108 है0 बारानी कुल 12.650 है0 बारानी खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण की माता/सास/दादी स्व0शेरादेवी का 1/6 हिस्सा यानि 2.108 है0 खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण ने उक्त रकबा को वाद पत्र के निर्णय तक कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करने व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है। जैरवाद रकबा पर से यदि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने बेदखल कर काबिज हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान संभावित है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण की ओर होना प्रकट होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.0पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रा0पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे जैरवाद भूमि में से प्रार्थीगण के हिस्सा तक के कब्जा काश्त में दखलदांजी न करें तथा रहने बैय न करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 15:10:09 IST
Reason: SelfAttested